D:\Amar Singh G\Letter, 2011.doc- 330-

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं
2, जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक–एफ. 4(1)पोषा/विविध/ICDS/2012/ जयपुर, दिनांकः

उप निदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त।

विषय :– वर्षा ऋतु के दौरान पूरक पोषाहार के सुरक्षित भण्डारण एवं आपूर्ति के सम्बन्ध में।
संदर्भ :– समसंख्यक पत्र क्रमांक–53656–89, दि.–05.07.12

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा वर्षा ऋतु के दौरान पोषाहार के उचित भण्डारण एवं नियमित आपूर्ति बनाये रखने के सम्बन्ध में निर्देश जारी किये गये थे। इस वर्ष राज्य के कई जिलों में सामान्य से अधिक वर्षा हुई है। अतः उक्त निर्देशों की निरन्तरता में पुनः निर्देशित किया जाता है कि :–

वर्षा ऋतु के दौरान पूरक पोषाहार को सुरक्षित रखने के लिए उसका उचित भण्डारण किया जाना आवश्यक है। उचित भण्डारण नहीं किये जाने की स्थिति में पोषाहार के खराब होने की पूर्ण सम्भावना रहती है एवं पोषाहार लाभान्वितों के लिए गुणवत्तापूर्ण नहीं रह पाता है।

वर्षा ऋतु के दौरान पोषाहार का भण्डारण सूखे, स्वच्छ, हवादार एवं प्रकाश युक्त पक्के स्थान पर तथा खुले पोषाहार को कंटेनर में ही रखा जाना सुनिश्चित करावें।

यद्यपि पूरक पोषाहार की आपूर्ति पाउचों में प्राप्त की जा रही है तथापि परिवहन के दौरान किसी पाउच के फट जाने अथवा लीक होने की स्थिति में उसका वितरण लाभान्वितों को नहीं किया जावें। इसके अतिरिक्त पोषाहार आपूर्तिकर्ता फर्म से पूरक पोषाहार प्राप्त करते समय यह सुनिश्चित कर लें कि पोषाहार के बैग/पाउच वर्षा के कारण भीगे न हों। पोषाहार के बैग/पाउच भीगे होने पर उन्हें स्वीकार नहीं किया जावे।

ऐसे आंगनबाडी केन्द्र जिन पर वर्षा ऋतु के दौरान पोषाहार की आपूर्ति/परिवहन बाधित होने की सम्भावना हो उन आंगनबाडी केन्द्रों को चिन्हित कर पूरक पोषाहार की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति सुनिश्चित करते हुए उसके सुरक्षित रूप से भण्डारण की व्यवस्था की जावे ताकि लाभान्वितो को पोषाहार की नियमित आपूर्ति बाधित न हो।

वर्षा ऋतु के दौरान बच्चों में उल्टी, दस्त, मलेरिया, हैजा एवं टाईफाईड इत्यादि बीमारियां फैलने के कारण कुपोषण की समस्या बढने की सम्भावना रहती है, अतः बच्चों में कुपोषण की रोकथाम हेतु यदि किसी क्षेत्र विशेष में अतिरिक्त पोषाहार की आवश्यकता हो तो सम्बन्धित उप निदेशक से स्वीकृति प्राप्त कर अतिरिक्त पोषाहार की व्यवस्था किया जाना सुनिश्चित करावें।

इसे प्राथमिकता देवें।

sd/-
निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएं
राज. जयपुर

क्रमांक–एफ. 4(1)पोषा/विविध/ICDS/2012/ 66559-67161 जयपुर, दिनांकः 29.8.12

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. वरिष्ठ निजी सहायक, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय।
3. मुख्य कार्यकारी जिला परिषद, समस्त।
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त।
5. बाल विकास परियोजना अधिकारी, समस्त।
6. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर प्रशाखा, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करावें।

अतिरिक्त निदेशक (पोषाहार)
समेकित बाल विकास सेवाएं